संख्या- 17 /2026/655 /सत्रह-म-17-1099/63/2022

प्रेषक,

मुकेश कुमार मेश्राम
अपर मुख्य सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक
मत्स्य विभाग
उ0प्र0 लखनऊ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊः दिनांक 10 अप्रैल, 2026

विषयः मत्स्य विभाग/ उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम/ उ0प्र0 मत्स्य जीवी सहकारी संघ लि0 के अधीन आने वाले विभिन्न श्रेणियों के जलाशयों की प्रबन्ध व्यवस्था हेतु निर्धारित नीति में संशोधन विषयक।

महोदय

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम लि0 के पत्र संख्या-359/सा0शा0/ दिनांक 09.04.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से विभागीय प्रक्षेत्रों को क्षेत्रफल के अनुरूप श्रेणी- 5 की भांति निस्तारण किये जाने हेतु जलाशय नीति सम्बन्धी शासनादेश 28/2023/756/सत्रह-म-17-1099/63/2022 दिनांक 25.09.2023 में संशोधन किये जाने का संशोधित प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त विभागीय प्रक्षेत्रों को क्षेत्रफल के अनुरूप श्रेणी-5 की भांति निस्तारण किये जाने हेतु जलाशय नीति सम्बन्धी शासनादेश 28/2023/756/सत्रह-म-17-1099/63/2022 दिनांक 25.09.2023 में युक्तिसंगत संशोधन करते हुए जलाशयों की प्रबन्ध व्यवस्था निम्नवत निर्धारित किये जाने पर श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं –

| वर्तमान व्यवस्था (शासनादेश संख्या 28/2023/756/सत्रह-म-17-1099/63/2022 दिनांक 25.09.2023 में निहित) | संशोधित व्यवस्था |
|---|---|
| प्रस्तर-2-1 (2)<br>विभिन्न योजनाओं में निर्मित मत्स्य आस्थान विभाग द्वारा पूर्व निर्धारित श्रेणी-3 एवं 4 के जलाशयों की भांति निस्तारण नीति के अन्तर्गत निस्तारित किये जायेंगे। | प्रस्तर-2-1 (2)<br>विभिन्न योजनाओं में निर्मित मत्स्य आस्थान एवं उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम लि0 तथा उ0प्र0 मत्स्य जीवी सहकारी संघ लि0 को अन्तरित मत्स्य प्रक्षेत्र शासनादेश दिनांक 25.09.2023 में क्षेत्रफल के आधार पर श्रेणीबद्ध श्रेणी-4 एवं श्रेणी-5 के जलाशयों की भांति निस्तारण नीति के अन्तर्गत निस्तारित किये जायेंगे। |

| प्रस्तर 2 (2) i | स्तर 2 (2) i |
|---|---|
| श्रेणी-5 के जलाशयों का निस्तारण जिलाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी (मत्स्य विभाग के अधिकारी को छोड़कर) की अध्यक्षता में निम्नानुसार गठित समिति द्वारा ई-निविदा/ निविदा के माध्यम से किया जायेगा।<br>(1) जिलाधिकारी द्वारा नामित मुख्य विकास अधिकारी/ अपर जिलाधिकारी - अध्यक्ष<br>(2) जिला पंचायत राज अधिकारी- सदस्य<br>( 3 मत्स्य विभाग के जनपदीय अधिकारी- सदस्य<br>श्रेणी 5 के जलाशयों के मत्स्याखेट ठेका की स्वीकृति हेतु सक्षम अधिकारी मण्डलीय उप निदेशक मत्स्य होंगे। | श्रेणी-5 के जलाशयों, विभिन्न योजनाओं में निर्मित मत्स्य आस्थान एवं उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम लि0 तथा उ0प्र0 मत्स्य जीवी सहकारी संघ लि0 को अन्तरित मत्स्य प्रक्षेत्र का निस्तारण जिलाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी (मत्स्य विभाग के अधिकारी को छोड़कर) की अध्यक्षता में निम्नानुसार गठित समिति द्वारा ई-निविदा/निविदा के माध्यम से किया जायेगा।<br>(1) जिलाधिकारी द्वारा नामित मुख्य विकास अधिकारी/अपर जिलाधिकारी - अध्यक्ष<br>(2) जिला पंचायत राज अधिकारी - सदस्य<br>(3) मत्स्य विभाग के जनपदीय अधिकारी (मत्स्य विभाग के प्रबंधन के अन्तर्गत) - सदस्य<br>(4) मत्स्यनिदेशक मत्स्य द्वारा नामित अधिकारी- सदस्य<br>(5) अधिशाषी प्रबंधक उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम लि0<br>(उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम लि0 के प्रबंधन के अन्तर्गत) - सदस्य<br>अथवा<br>प्रबंध निदेशक उ0प्र0 मत्स्य जीवी सहकारी संघ लि0 अथवा उनके द्वारा नामित संघ के अधिकारी/कार्मिक(उ0प्र0 मत्स्य जीवी सहकारी संघ लि0 के प्रबंधन के अन्तर्गत)- सदस्य<br>श्रेणी 5 के जलाशयों एवं मत्स्य आस्थानों के मत्स्याखेट एवं उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम लि0 तथा उ0प्र0 मत्स्य जीवी सहकारी संघ लि0 को अन्तरित विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्रों से मत्स्य बीज उत्पादन के ठेके की स्वीकृति हेतु सक्षम अधिकारी मण्डलीय उप निदेशक मत्स्य/मुख्य महाप्रबंधक उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम लि0/प्रबंध निदेशक उ0प्र0 मत्स्य जीवी सहकारी संघ लि0 होंगे।<br>जलाशय नीति सम्बन्धी शासनादेश संख्या 28/2023/756/सत्रह-म-17-1099/63/2022 दिनांक 25.09.2023 में जहां पर मत्स्याखेट ठेका का उल्लेख किया गया है, वहां पर मत्स्याखेट ठेका के स्थान पर मत्स्याखेट/मत्स्य बीज उत्पादन ठेका पढ़ा जायेगा। |

कृपया उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

Dig tally signed by
MUKESH KUMAR MESHRAM
Date: 10-04-2026 16:12:16

(मुकेश कुमार मेश्राम)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या 17 / 2026/655(1)/सत्रह –म-2026 तददिनांक

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. - महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2. - समस्त मण्डलायुक्त उत्तर प्रदेश ।
3. - समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश ।
4 - निबन्धक,सहकारी समितियॅ उत्तर प्रदेश ।
5 - प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम लि0 लखनऊ।
6 - प्रमुख अभियन्ता,सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश।
7. - निदेशक,पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ।
8. - निदेशक, सूचना विभाग उ0प्र0 ।
9. - समस्त संयुक्त विकास आयुक्त उत्तर प्रदेश।
10. - समस्त मुख्य विकास अधिकारी / जिला विकास अधिकारी उत्तर प्रदेश।
11. - प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश मत्स्य जीवी सहकारी संघ लि0 लखनऊ।
12. - प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम लि0 लखनऊ।
13. - वित्त एवं लेखाधिकारी, मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
14. - समस्त उप निदेशक मत्स्य/ सहायक निदेशक मत्स्य/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी मत्स्य पालक विकास अभिकरण उत्तर प्रदेश।
15. - गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राम चरन राम)
उप सचिव।